

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुड़ामालानी

उनवान :

वादीगण

1. सालूराम पुत्र सांवलाराम
2. तुलसाराम पुत्र सांवलाराम
जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सांवलाराम पुत्र चांपाराम
जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

दावा बाबत 88, 40, 188 RTA


मुकदमा नम्बर :-25...../2019

निर्णय दिनांक :-30.11..2021 (कैम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय लूणवा जागीर)

वादीगण की ओर से श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादीगण व वादीगण स्वयं की एवं प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.11..2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादग्रस्त आराजी ग्राम डेडावास का गोलिया के खेत खसरा नम्बर 228, 243, 260, 267 रकबा क्रमशः 3.8364, 6.1917, 0.3804, 6.5883 हैक्टेयर कुल रकबा 16.9968 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 सावलाराम पुत्र चांपाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।


यह आज तारीख 30.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी
दिनांक : 5/12/21

क्रमांक: वाचक/2021/ 853

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी
दिनांक : 5/12/21